कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/ 721 /एस. डब्ल्यू./2021 रायपुर, दिनांक 16/06/2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 709 दिनांक 11.06.2021 द्वारा दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला रायपुर में आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये पूर्ववर्ती कंडिका 2 एवं 11 को विलोपित करते हुये नवीन कंडिका 2 एवं 11 अन्तःस्थापित की जाती है :–

2. **कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो–रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी–पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 07.00 बजे तक तथा रविवार को केवल अपरान्ह 02.00 बजे तक खोले जा सकेगें। ब्यूटी–पार्लर एवं सेलून रविवार को शाम 07.00 बजे तक खोले जा सकेगें।**

11. **प्रत्येक रविवार को अपरान्ह 02.00 बजे के पश्चात पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी, केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल व होटल/रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी–पार्लर एवं सेलून तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।**

कंडिका 3 एवं 4 में दर्शित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर विवाह प्रयोजन हेतु इन–हाउस डाइनिंग की सुविधा सहित मैरिज हॉल व होटल/रेस्टोरेंट्स रात्रि 10.00 बजे तक खोले जा सकेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ.क्रमांक / 721 A / एस. डब्ल्यू. / 2021 रायपुर, दिनांक 16 / 06 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह(पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर / बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) रायपुर / आरंग / अभनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. खाद्य नियंत्रक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. उप पंजीयक, समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. समस्त कार्यालय प्रमुख .... जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. .... समस्त आम जनता, जिला रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर